

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / 19 /2020

दिनांक 20.01.2020

श्रीमती अनामिका सारण (RJ0700), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पदमपुर (श्रीगंगानगर) को दिनांक 03.02.2020 से 29.02.2020 तक 27 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 02.02.2020 एवं 01.03.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री धनपत माली (RJ0630), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर) को श्रीमती अनामिका सारण के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पदमपुर (श्रीगंगानगर) के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

1. ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं. का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. श्री धनपत माली (RJ0630) अति. कार्यभार वाले न्यायालय में आनुकल्पिक सप्ताह (Alternate week) कम से कम तीन दिन (At least for three days in alternate week) कैम्प कोर्ट करेंगे।


आज्ञा से

30.1.2020
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/69/2011/ 685

दिनांक 20.01.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर को उनके पत्रांक 18 दिनांक 06.01.2020 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती अनामिका सारण (RJ0700), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पदमपुर (श्रीगंगानगर)।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पदमपुर (श्रीगंगानगर)।
5. श्री धनपत माली (RJ0630), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।


30.1.2020
सहायक रजिस्ट्रार